न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

प्रा0 पत्र सं0 01/2011 प्रा.पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970

मांगीराम पुत्र शंकर जाति बैरवा निवासी किशनपुरा टापरिया तहसील दौसा हाल तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा

..प्रार्थी

बनाम

1. रामधन पुत्र सुक्खा जाति बैरवा निवासी मलवास तहसील दौसा हाल तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा
2. आवंटन सलाहकार समिति एवं तहसीलदार दौसा
3. तहसीलदार दौसा

..अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन रूल्स विरूद्ध आवंटन आदेश आवंटन सलाहकार समिति एवं तहसीलदार दौसा दिनांक 25.4.1970 जिसके तहत अप्रार्थी संख्या 01 को साबिक खसरा नंबर 64 वाके ग्राम किशनपुरा टापरिया में से 4 बीघा भूमि का आवंटन किया गया है।

उपस्थित–1. श्री विनोद कुमार विजय, अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष।
2. श्री अविनाश नागर, अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1की ओर से।
3. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय — दिनांकः 27.2.2024

1. संक्षिप्त वृतांत प्रा0 पत्र 14 (4) इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 25.4.16970 को ग्राम किशपुरा टापरिया तहसील दौसा हाल तहसील नांगल राजावतान के साबिक खसरा नंबर 64 में से 4 बीघा भूमि का आवंटन अप्रार्थी संख्या 01 को कर दिया। प्रार्थी द्वारा इसी आवंटन आदेश से व्यथित होकर यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 (4) भू–आवंटन नियम–1970 के तहत प्रस्तुत किया गया।
2. प्रा0 पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। आवंटन से संबंधित मूल अभिलेख मंगवाया गया।
3. अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि आवंटन सलाहकार समिति एवम तहसीलदार दौसा ने आवंटन रूल्स की अवहेलना करके फ्रोड व धोखे से अप्रार्थी संख्या एक के आवंटन हेतु आवेदन किए बिना तथा अप्रार्थी संख्या 1 के नाबालिग होने के बावजूद भी कानून के विपरीत तरीके से अप्रार्थी संख्या एक को वाके ग्राम किशनपुरा टापरिया तह०दौसा मे स्थित भूमि साबिका खसरा नम्बर 64 मे से 4 बीघा भूमि का दिनांक 25.4.1970 को आवंटन कर दिया जिसकी प्रार्थी को कतई जानकारी नही थी। उक्त आवंटन आवंटन रूल्स की अवहेलना करके फ्रॉड व धोखे से किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 ने आवंटन हेतु कोई आवेदन पत्र पेश नही किया। अप्रार्थी संख्या 1 ने आवंटन हेतु कोई आवेदन पत्र ही पेश नही किया तो वह आवंटन करने का अधिकारी नही था ऐसा माननीय राजस्वमण्डल ने तय किया है अप्रार्थी संख्या 1 आवंटन के दिन नाबालिग था। वरवक्त आवंटन अप्रार्थी संख्या 1 की उम्र 5 वर्ष थी । कानून नाबालिग के लिए आवंटन नही किया जा सकता है फिर भी अप्रार्थी संख्या 1 को आवंटन करके कानूनी गलती की है अतः आवंटन निरस्तनीय है। उक्त आवंटन बाबत न तो कोई उद्घोषणा जारी की न ही कोईउद्घोषणा की तामील करायी और आवंटन कर दिया जो कि निरस्तनीय है। अप्रार्थी संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:58:07 IST
Reason: SelfAttested

Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर, दौसा

1 का आवंटन से लेकर आज तक कभी भी कब्जा नही रहा उक्त भूमि पर प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का कब्जा अप्रार्थीसंख्या 1 को आवंटन से भी पूर्व से चला आ रहा है। आज भी उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा है। उक्त भूमि मे प्रार्थी का रहवास बना हुआ है आवंटन के प्रथम वर्ष आधे रकबे पर व द्वितीय वर्ष ने पूरे रकबे पर काश्त करना जरूरी होता है जो अप्रार्थी संख्या 1 ने आवंटन से लेकर आज तक कभी भी काश्त नही की है अतः आवंटन निरस्तनीय है। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी भूमि के तथ्य को छिपाया है कालमनं० 2 की पूर्ती नही की है अतः आवंटन निरस्तनीय है। उक्त भूमि साबिका खसरा नम्बर 64 आवंटन योग्य भूमि नही थी किन्तु फिर भी उक्त भूमि का आवंटन करके कानूनी गलती की है। उक्त भूमि किशनपुरा टापरिया मे स्थित है कानूनन आवंटन जिस गांव मे भूमि स्थित हो उसी गांव मे किया जा सकता है दीगर गांव के व्यक्ति को मलवास मे बैठकर आवंटन किया गया है अतः आवंटन निरस्तनीय है। उक्त आवंटन आदेश दिनांक 25.4.1970 की प्रार्थी को कतई जानकारी नही थी। सर्वप्रथम दिनांक 13.12.2010 को उक्त भूमि साबिका खसरा नम्बर 64 रकबा 4 बीघा हाल खसरा नम्बर 351, 352 मे बने हुए अपने आवास पर प्रार्थी था कि अप्रार्थीनं० 1 ने धमकी दी कि उक्त कब्जे की भूमि की खातेदारी मेरे नाम है या तो इसे खाली कर देना अन्यथा में तुमसे खाली कराउगा और तुमने खाली नही की तो किसी लाठी वाले को विक्रय करूगां प्रार्थी ने अप्रार्थी सं0 1 से कहा कि उक्त भूमि से तुम्हारा क्या लेना देना है तो उसने धमकी दी कि उक्त भूमि मेरे नाम खातेदारी मे है तब उसे समझा बुझाकर भेजा और पटवारी हल्का ने जानकारी की तो उसने बताया कि वर्तमान खसरा नम्बर 351, 352 की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम है खातेदारी कैसे हुई यह दौसा जाकर मालूम करो तब प्रार्थी दिनांक 15.12.2010 को दौसा आया व मालूम करने पर जानकारी हुई कि उक्त भूमि खसरा नम्बर 351, 352 के सैटलमेन्ट पूर्व खसरा नम्बर 64 रकबा 4 बीघा ग्राम किशनपुरा टापरिया दिनांक 25.4.1970 को अप्रार्थी संख्या एक को आवंटन हो रहा है तब उक्त आवंटन आदेश की नकल हेतु दिनांक 15.12.2010 को आवेदन पेश किया जिस पर नकल तैयार होकर दिनांक 16.12.2010 को मिली तब सर्वप्रथम उक्त आवंटन आदेश की जानकारी हुई इससे पूर्व प्रार्थी को उक्त आदेश की कतई जानकारी नही थी जानकारी होने पर वकील नियुक्त कर जानकारी से अंदर मियाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14 (4) आवंटन रूल्स स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 को दिनांक 25.4.1970 वाके ग्राम किशनपुरा टापरिया मे स्थित साबिका खसरा नम्बर 64 मे से 4 बीघा भूमि का किया गया आवंटन जिसके हाल खसरा नम्बर 351 रकबा 0.50 है0 352 रकबा 0.49 है0 बने है को निरस्त फरमाया जावे। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त **RRD 1994 P 666, RRD 1992 P302, RRD 1990 P28, RRF 1990 P 316** की प्रतियां प्रस्तुत की गई।

4. अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 ने बहस में कथन किया कि प्रार्थी का यह आरोप सरासर गलत है कि अप्रार्थी नं0 1 ने फ्रोड व धोखे से तारीख 25.4.1970 को खसरा नम्बर 64 रकबा 4 बीघा वाके ग्राम किशनपुरा टापरिया का गलत आवंटन करवा लिया जिसकी जानकारी नही थी। इस प्रकार झूठे आरोप लगाकर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। अप्रार्थी संख्या एक को ग्राम किशनपुरा टापरिया में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 64 रकबा 4 बीघा का विधिवत सही आवंटन किया गया है। अप्रार्थी संख्या एक भूमिहीन किसान है और अनुसूचित जाति का सदस्य है उसके पास मात्र यह चार बीघा भूमि ही है जिसका [illegible] 43–44 वर्ष पूर्व विधिवत जांच करके तत्कालीन एम एल ए श्री किशन[illegible] को आवंटन सलाहकार समिति ने पटवारी हल्का आदि से [illegible] किया और प्रार्थी मांगीराम ने 43–44 वर्ष पश्चात यह झूठा आरोप लगाया है कि उसको [illegible] आवंटन की अब तक कोई जानकारी ही नही हुई। अप्रार्थी रामधन ने दिनांक 24.6.2010 को न्यायालय सहायक कलेक्टर दौसा ने प्रार्थी मांगीराम व उसके भाई कालूराम के खिलाफ वादग्रस्त भूमि की स्थाई निषेधाज्ञा बाबत दावा किया था। क्योकि मांगीराम व कालूराम दिनांक 16.4.2010 को अप्रार्थी नं० 1 की फसल

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:58:07 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर, दौसा

मूंगफली व बाजरा में घुसने की कुचेष्टा की थी और अप्रार्थी संख्या एक ने वर्तमान खसरा नम्बर 351 में एक छप्पर लगा रखा है उसे भी तोडने की कुचेष्टा की थी। तारीख 16.6.2010 को तो अप्रार्थी नं० 1 ने सहायक कलेक्टर दौसा के समक्ष धारा 107,116 (3) जा०फौ०में इस्तगासा किया जिस पर सहायक कलेक्टर दौसा ने एस एच ओ नांगल राजावतान को आदेश दिया कि वे मांगीराम व कालूराम को बेजा कब्जा करने से रोके फिर भी मांगीलाल व कालूराम तारीख 20–6–2010 को छप्पर में आकर झगडने लगे तो अप्रार्थी नं० 1 ने एसएचओ थाना नांगल राजावतान को रिपोर्ट की जिस पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और मांगीलाल व कालूराम को पकडकर पुलिस स्टेशन लाई तो कालूराम ने समस्त परिजनो की और से पुलिस को यह लिखकर दे दिया कि वे खसरा नम्बर 351 में नही घुसेगे और छप्पर में कोई बाधा नही डालेगे। तत्पश्चात दिनांक 22–6–2010 को प्रार्थी मांगीराम व कालूराम खसरा नम्बर 351 में कब्जा करने व फसल बाजरा को उथेलने की धमकी देने लगे तो अप्रार्थी संख्या एक वउसके भाई अशोक कुमार ने मांगीलाल व कालूराम के खिलाफ मुकदमा संख्या 50/10 उनवानी रामधन आदि बनाम मांगीलाल किया जिसके सम्मन नोटिस मांगीलाल व कालूराम को भेजे गये परन्तु सम्मन नोटिस मांगीलाल व कालूराम को प्राप्त हो जाने के बाद भी मांगीराम व कालूराम न्यायालय सहायक कलेक्टर दौसा में उपस्थित नही हुए तो उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तत्पश्चात अप्रार्थी नं० 1 की साक्ष्य लेकर तारीख 17–3–2000 को खसरा नम्बर 351, 352 वाके ग्राम किशनपुरा टापरिया तहसील दौसा वादी/अप्रार्थी नं० 1 के कब्जे में किसी प्रकार कोई दखल न देने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री मांगीलाल व उसके भाई कालूराम के विरूद्व पारित की गई जिससे स्पष्ट है कि मांगीलाल उर्फ मांगीराम प्रार्थी को इस निर्णय की भली प्रकार जानकारी है कि ग्राम किशनपुरा टापरिया में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 351 रकबा 0.50 है० खसरा नम्बर 352 रकबा 0.49 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.99 है० का खातेदार अप्रार्थीनं० 1 रामधन है। दिनांक 17.7.2011 को सहायक कलेक्टर दौसा ने जो फैसला व डिक्री पारित किया उसकी सूचना अप्रार्थी नं० 1 रामधन ने रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा मांगीलाल व कालूराम को कैवियट पेश कर भेजी जिससे भी उनको एकपक्षीय डिकी व फैसले की भली प्रकार जानकारी हो गई। इसके बावजूद प्रार्थी ने कोईजानकारी ना होने का बहाना किया है वह सरासर व बेबुनियाद है। आवंटन के समय अप्रार्थी संख्या एक की आयु लगभग 20 वर्ष की थी क्योकि अप्रार्थी संख्या एक की आयु वर्तमान समय में 65 साल है। वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थी नं० 1 का कब्जा दिनांक 25.4.1970 से निरन्तर अब तक चला आ रहा है और कब्जा काश्त होने व निरन्तर लगान अदा करने के कारण अप्रार्थी नं० 1 को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। प्रार्थी या प्रार्थी के पिता का कोई कब्जा वादग्रस्त भूमि मे नही रहा। हाल ही मे प्रार्थी ने वादग्रस्तभूमि के समीप दूसरी भूमि में नीव खोदने की कुचेष्टा की उसके बाबत केस चल रहा है। बहरहाल वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी का कोई रहवास नही है वर्तमान समय में भी कब्जा काश्त अप्रार्थी नं० 1 का ही है। प्रथम वर्ष में आधी व दूसरे वर्ष में सम्पूर्ण रकबे पर काश्त करने की शर्त तो पूर्व में ही समाप्त कर दी गई है। फिर भी अज्ञानतावश इस प्रार्थना पत्र में उज्र किया गया है। जब अप्रार्थी नं० 1 के पास स्वयं की खातेदारी की अन्य कोई भूमि है ही नहीं इसलिए कॉलम नं० 2 खाली छोड़ा गया है। आवंटन विधिपूर्वक मौके पर ही किया गया है। क्योकि उस समय इस गांव की पंचायत का मुख्यालय मलवास ही था इसलिए विधिवत उद्घोषणा जारी कर मलवास में आवंटन सलाहकार समिति की [illegible] आहूत की गई इस बैठक में तत्कालीन सरपंच श्री छोटेलाल, तत्कालीन [illegible] तत्कालीन एम एल ए श्री किशनलाल वर्मा, पटवारी हल्का [illegible] रहे और विधिवत जांच आदि करके आवंटन सलाहकार समिति ने चक नं0 64 [illegible] से 4 बीघा मात्र भूमि अलोट की और विधिवत आवंटी अप्रार्थी नं०1 को उसका कब्जा स[illegible]लाया गया। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रार्थी को प्रश्नगत आवंटन का ही नहीं बल्कि अप्रार्थी नं0 को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने तथा उसमें काश्त करने व छप्पर आदि बनाने की भी जानकारी हो गई थी। 43 साल में

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:58:07 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर, दौसा

जानकारी होते हुए भी प्रार्थी सरासर असत्य उज्र कर रहा है कि उसे आवंटन आदेश दिनांक 25–4–70 की कतई जानकारी नही हुई। माननीय राज०उच्च न्यायालय ने यह सुस्थापित कर दिया है कि यधपि 14 (4) आवंटन नियम तहत प्रार्थना पत्र पेश करने की कोई मियाद निर्धारित नही है परन्तु फिर भी प्रार्थना पत्र रीजनेबल समय में ही पेश हो सकता है। अप्रार्थी नं० 1 ने जब तारीख 24–6–2010 को ही न्यायालय में दावा करके सम्मन- नोटिस मांगीराम को भिजवा दिये फिर भी प्रार्थी ने तीन साल तक यह प्रार्थना पत्र पेश नही किया जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र रीजनेबल सीमा अवधि में पेश नही किया गया और धारा 5 कानून मियाद अधिनियम के तहत मियाद बढ़ाने की कोई कार्यवाही नही की जा सकती। क्योकि ऐसे केस में कानून मियाद अधिनियम में मियाद बढ़ाने का कोई कानून या प्रावधान नही है। खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के पश्चात श्रीमान को नियम 14 (4) आवंटन नियम की कार्यवाही करने का या आवंटन निरस्त करने का कोई अधिकार नही है। यह अनेक न्यायिक दृष्टान्तों द्वारा सुस्थापित किया जा चुका है। प्रार्थी ने झूठी कहानी गढ़ कर तथा सरासर असत्य आरोप लगाकर यह निराधार गलत प्रार्थना पत्र पेश किया है जो निरस्तनीय है। सर्वप्रथम तो प्रार्थी को कोई लोकसस्टेण्डाई नही है या प्रार्थनापत्र पेश करने का अधिकार ही नही है क्योकि प्रार्थी ने इस भूमि के आवंटन हेतु कोई प्रार्थना पत्र नही दिया था और आवंटन के समय दिनांक 25–4–70 को आवंटित भूमि पर प्रार्थी का कोईकब्जा नही था। क्योकि पटवारी हल्का ने उस दिन जांच करके आवंटन प्रार्थना पत्र की पुश्त पर रिपोर्ट की है कि खसरा नम्बर 64 पर किसी का कब्जा नही है इसलिए प्रार्थना पत्र निरस्तनीय है। नियम 14 (4) आवंटन नियम के प्रार्थना पत्र मे भूमिधारी राजस्थान सरकार को पक्षकार बनाना आवश्यक होता है परन्तु आवश्यक पक्षकार राजस्थान सरकार को पक्षकार नही बनाया गया है। अतः ऑर्डर 1 रूल 9 सीपीसी तहत प्रार्थना पत्र निरस्तनीय है। उक्त प्रार्थना पत्र मे आवंटन सलाहकार समिति दौसा एवम तहसीलदार दौसा को अनावश्यक पक्षकार बना दिया गया है। अज्ञानता की हद यह है कि अप्रार्थी नं0 2 आवंटन सलाहकार समिति एवम तहसीलदार दौसा है फिर भी तहसीलदार दौसा को अप्रार्थी नं0 3 को पुनः पक्षकार बना दिया गया है अतः प्रार्थना पत्र नियम 14 (4) आवंटन नियम निरस्तनीय है। अप्रार्थीनं० 1 का तो तारीख 25–4–70 को साबिक खसरा नम्बर 64 वाके ग्राम किशनपुरा टापरिया के 4 बीघा को विधिवत अलोट कर दिया गया और लाखो रूपये लगाकर अप्रार्थी नं० 1 ने उसे सुधारकर कृषि योग्य बनाया है। कृषि की हिफाजत के लिए छप्पर व मकान बनाये और उसमें अच्छी पैदावार होने लगी तो प्रार्थी ने लाठी के जोर से तथा अपने भाई कालूराम आदि की मदद से जबरन बेजा दखल देना शुरू किया तो अप्रार्थीनं० 1 ने पुलिस केस करके तथा न्यायालय सहायक कलेक्टर दौसा में दावा करके प्रार्थी मांगीलाल को ऐसी बेजा कार्यवाही करने से पाबन्द करवाया इसी कारण बदले की भावना से मांगीराम ने एक झूठा मुकदमा चालू कर दिया है। 43 साल पूर्व के आवंटन के विरूद्ध तथा अप्रार्थी नं० 1 को खातेदारी मिल जाने के बाद यह प्रार्थना पत्र सुने जाने योग्य ही नही है और सरसरी तौर पर निरस्तनीय है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे एवं तथा झूठे आरोप लगाकर गलत मुकदमा करने के कारण अप्रार्थीनं० 1 को प्रार्थी से कम्पनसेट्री कोस्ट व न्यायालय व्यय पांच हजार रूपये दिलवाने के आदेश प्रदान करावें। अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 ने अप्रार्थी रामधन की जन्मपत्री व आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत की। साथ ही अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 ने न्यायिक दृष्टान्त 2019(2)आरआरटी 838, 2016(2)आरआरटी 76[illegible] 20[illegible])आरआरटी 756, 2016–17 (सप्लीमेंट्री) आरआरटी 304, 2005(2)आरआर[illegible] 648, 2024(2)आर[illegible] 1371, 2024(2)आरआरटी 1150, 2018(2)आरबीजे 539 राज. उच्च न्यायालय 20[illegible] आरआरडी 126, 2005(1)आरआरटी 648, 2014(2)आरआरटी 972, 2005(1)आरआरटी 648, [illegible]2002(1)आरआरटी 376, 2024(2)आरआरटी पेज 1321, 2014(2) आरआरटी पेज 1150, 2006 (2) आरआरटी 1171, 2001आरआरटी पेज 377, 2001 आरआरडी 206 उच्च न्यायालय की प्रतियां प्रस्तुत की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:58:07 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर,दौसा

5. हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का गहनता से अवलोकन किया।

6. प्रार्थी द्वारा आवंटी रामधन पुत्र सुक्खा बैरवा निवासी मलवास को ग्राम किशनपुरा टापरिया स्थित साबिक खसरा नंबर 64 में से 04 बीघा भूमि के किये गये आवंटन को प्रार्थी ने चुनौती दी है।

- पत्रावली में संलग्न मूल आवंटन पत्रावली के अवलोकन से यह सिद्ध होता है कि आवंटन फार्म रामधन पुत्र सुक्खा के नाम से भरा गया है एवं उस पर प्रार्थी के हस्ताक्षर पर सुखराम के हस्ताक्षर अंकित है। साथ ही 02 अंगूठा निशानी भी अंकित है। यह प्रार्थी के हस्ताक्षर एक औपचारिकता महज है एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर होने या न होने पर संपूर्ण आवटन को निरस्त किया जाना न्यायसंगत नहीं है।
- आवंटन फार्म में आवंटी की उम्र 25 वर्ष अंकित है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में यह कथन किया गया है कि आवंटन के वक्त अप्रार्थी रामधन नाबालिग था एवं इस संबंध में इस्तगासा धारा 107, 116(3) जा.फो. प्रस्तुत किया है जिसमें कि रामधन द्वारा उम्र 53 वर्ष दिनांक 25.6.2010 को अंकित की है किन्तु इस्तगासा में वर्णित उम्र, आयु के संबंध में कोई वैध दस्तावेज नहीं है। अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 द्वारा अप्रार्थी रामधन का आधार कार्ड भी प्रस्तुत किया है जिसके अप्रार्थी की जन्म तिथि 15.5.1950 अंकित है।
- प्रार्थी का कथन है कि आवंटी का आवंटन से लेकर कभी भी आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं रहा है व प्रार्थी का आवंटन से पूर्व से ही कब्जा रहा है, लेकिन उक्त कथन के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। साथ ही पत्रावली में संलग्न नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम किशनपुरा टापरिया संवत 2041 से 2060 का अवलोकन किया गया जिसमें भी हाल खसरा नंबर 351 व 352 साबिक खसरा नंबर 64/86 से बने है ना की साबिक खसरा नंबर 64 से। ग्राम किशनपुरा टापरिया के वर्तमान खसरा नंबर 351 व 352 मुताबिक जमाबंदी अप्रार्थी रामधन पुत्र सुखदेव बैरवा के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है।
- साथ ही प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र में यह तथ्य भी अंकित किया है कि खसरा नंबर 64 आवंटन योग्य भूमि नहीं थी, लेकिन किस प्रकार आवंटन योग्य नहीं थी यह स्पष्ट नहीं किया गया है। प्रार्थी के द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 25.4.1970 को 40 वर्ष से भी अधिक विलंब से चुनौती दी गई है एवं विलंब का कोई युक्तियुक्त कारण भी अंकित नहीं किया गया है।
- प्रार्थी द्वारा अनुचित आधारों पर यह प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 प्रस्तुत किया गया है जिसे हम निरस्त किये जाने योग्य समझते है।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 निरस्त किया जाता है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा प्रश्नगत आवंटन आदेश दिनांक 25.4.1970 को यथावत बहाल रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति कगे साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:58:07 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांकः 27 फरवरी, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील नियत समयावधि के अंदर सक्षम न्यायालय में की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official